बाल वेश्यावृत्तिः मानवता का कलंक

*डॉ. रमेशचन्द्र शर्मा

भारत में बालवेश्यावृत्ति 80 के दशक से बहस का मुद्दा बना हुआ है। आज इस विषय पर चर्चा/विचार का मुख्य कारण "बचपन बचाओं" आन्दोलन की जनहित याचिका और चाइल्ड लाइन की और से दाखिल हस्तक्षेप आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया किज बवह इसे कानूनन रोक पाने में नाकाम है, तो इसे क्यों न वैध बना दिया जाए। इसी खबर ने मुझे इस विषय पर सोंचने को प्रेरित किया जिसकी परिणिर्ति यह आलेख है। दरअसल वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे प्राचीन व्यवसाय रहा है। विश्व में सबसे प्राचीन मानी जाने वाली संस्कृतियों रोम, मिश्र, युनान, भारत, चीन में भी इसे सामाजिक मान्याता प्राप्त थी। जातक कथाओं में भी काली, सामा व सुलसा नामक गाणिकाओं के उल्लेख पाये जाते है।

आधुनिक भारत के दो महत्वपूर्ण मनिषियों महर्षि दयानन्द सरस्वती एवम् स्वामी विवेकानन्द से परिचर्चा का अवसर खेतड़ी रियासतों की गणिकाओं नन्ही जान और नानी से हुआ। एक महर्षि दयानन्द की मृत्यु का कारण बनी, वहीं दूसरी स्वामी विवेकानन्द को आत्म ज्ञान समदृष्टि, प्रभेद मुक्ति, सभी स्त्री पुरूषों के प्रति समानता और पूर्वाग्रह न रखने की प्रेरणा देने वाली बनी। इसके द्वारा गाये गये एक भजन की लाईन से "हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरों, समदृर्षि है नाम तिहारों चाहो तो पार करो।" गणिकाऐं प्रेरणा प्राप्त हुई। उक्त घटना का उल्लेख इतना बताने के लिए किया गया है कि भारत में इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते है। प्राचीन समय चन्द्रगुप्त मौर्य के काल से आधुनिक काल तक यह प्रथा व्याप्त रही है किन्तु भारतीय इतिहास में बाल वेश्यावृत्ति के उदाहरण कहीं दृष्टव्य नहीं होते है। 2000 ई.पूर्व पहली बार वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में कानून ग्रीक में बना। राज्य द्वारा चलाये जाने वाले चकूला घरों में वेश्यावृत्ति के लिए गुलामों को भेजा जाता था। वे वहां स्वतंत्र रूप से देह व्यापार करते थे और सरकार को भारी कर देते थे। यू तो वेश्यावृत्ति का इतिहास इस विश्व जितना ही प्राचीन है। मगर जहां तक बाल–वेश्यावृत्ति का संबंध है, इसमें तेजी उस समय आई, जब अमेरिकी सैनिक 1967 में वियतनाम के युद्ध में गए और उन्हें यौनाचार की आवश्यकता पड़ी। उस समय थाईलैण्ड से अमेरिका ने गुप्त समझौता किया कि उसके सैनिक जब तक वियतनाम में रहेंगे, वे 'मनोरंजन' के लिए थाईलैण्ड आते रहेंगे। इस समझौते का नाम रखा गया 'रेस्ट एण्ड रिलेक्सेशन'। चूंकि अमेरिकी सैनिको की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। इसकी मांग को पूर्ण करने में वहां इतनी संख्या में वेश्याएं उपलब्ध न होने के कारण थाईलैण्ड में स्कूली छात्राओं को इस कुकृत्य के लिए आगे लाया गया। सरकार को तो डॉलर चाहिए थे। इसलिए एशिया के इस भू–भाग में बाल–वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने को बड़ा श्रेय थाईलैण्ड और अमेरिका को जाता है। मानव अधिकारों के पेरोकारों राष्ट्र द्वारा ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करना, रक्षक ही भक्षक की भूमिका में रहे है। समुची दुनिया में किसी भी देश द्वारा आज तक कानून के जरिए यौन व्यापार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी है। यौन व्यापार को वैध करार देने वाले देशों में यथा– आस्ट्रिया, बोलविया, कोलंबिया जर्मनी, हंगरी, लेबनान, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड पेरू, स्विटजरलैण्ड, कनाडा, इजरायल और ब्रांजील के क्लब में शामिल होकर भारत सरकार क्या नया इतिहास रचना चाहती है। यह सच है कि जब तक जीवन है, मानव है, तब तक इस व्यवसाय के जारी रहने की सम्भावनाऐं व्याप्त है। यह मानव की आवश्यकता है और इसका जनक

मानव ही है। भ्रूण हत्या के आंकड़े लींग–भेद और महिलाओं की घटती दर के कारण यह व्यवसाय और अधिक बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई देता है।

वेश्यावृत्ति क्या है– यौन गुलामी के तंत्र का ही व्यवस्थित नाम है, वेश्यावृत्ति। वेश्याओं के साथ जो कुछ भी ग्राहकी सम्भोग होता है, उसे बलात्कार नहीं माना जाता है। वेश्या व्यवसाय की विश्वव्यापी मोजूदगी बलात्कार का ही एक संस्थावृद्व रूप है। 1956 अधिनियम की धारा 02 (च) के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों यानी पैसे के लिए व्यक्तियों का लैगिक शोषण या दुरूपयोग और अभिव्यक्ति करने वाले को वेश्या कहा जाता है । बहुत कम स्त्रियाँ इस पेशे में अपनी मर्जी से आती है। एक संगठित तंत्र द्वारा इस पेश में स्त्रियों को लाया जाता है। उतना ही संगठित तंत्र वेश्या व्यवसाय को जारी रखने में सहायक बना रहता है। इसी के कारण मानवता को कलंकित करने वाला व्यवसाय दिन–दोना, रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक ग्राहक को स्त्री के साथ वेश्या गमन करने के लिए जितनी हिंसा करनी पड़ेगी उससे अधिक हिंसा वेश्यालय चलाने वाले अपनी और से पहले ही कर चुके होते है। वेश्यालयों में बलात्कार के लिए किसी किस्म का प्रयास नहीं करना पड़ता बल्कि चंद रूपये खर्च करना पड़ता है और व्यक्ति की शारिरीक क्षुधा शांति का स्थान एवंम क्षुधा के साधन उपलब्ध रहते है। यहाँ प्रश्न उठता है फिर देश में बलात्कार क्यों होते है? यौन सुख, क्षुद्यातृप्ति के साधन जब आसानी से उपलब्ध हो तो फिर समाज में आये दिन बलात्कार की घटनाऐं अखबारों की सुर्खियाँ क्यों बन रही है। बलात्कार महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले निकष्टतम अपराधों में से एक है। यहाँ पर बलात्कारी के समाज मनोविज्ञान के अनुसंधान की आवश्यकता है यहाँ बलात्कारी अपनी ताकत के बल पर यौन सुख पाना चाहता है। बलात्कार यौन उत्तेजना के विस्फोट का मामला नहीं है। जितना की कमजोर स्थिति में दबोच ली गई स्त्री के साथ मुँह काला करने का है। यह विकृत इच्छा उस समाज में ज्यादा पैदा होती है, जहाँ हिंसा को एक तरह की वैद्यता मिली हुई है। हिंसा का अधिकार जब तक एक विशिष्ट वर्ग में सिमट जाता है बलात्कार भी एक विशिष्ट वर्ग तक ही सिमट जाता है। बलात्कार को अगर कानूनी न माने तो पाएँगे कि ऐसे सभी यौन सम्बन्ध बलात्कार ही है, जो लालच या किसी भी प्रकार के भय के तहत ताकत के बल पर किये जाते है। यह असहाय के यौन शोषण का ही एक जघन्य रूप है। बलात्कार मानवीय रिश्तों में अपराधी खलल है। दूसरी और एक प्रकार की दासता आरोपित करने का प्रयास भी है। (हमारे सामाजिक मूल्यों में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है यहाँ यौन अपराध, बलात्कार समस्या का समाधान अहिंसक, नैतिक समाज रचना विकल्प के रूप में देख सकते है। परन्तु वेश्यावृति समस्या का समाधान ढूढना होगा) 1992 में जार्जिया के महिला युवा सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है, वे वो सब करना चाहता है जो इंटरनेट पर अश्लील सामग्रियों में देख रहा है, इस तरह की मानसिकता अवसाद नही उतेजना का परिणाम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों से उसके अपरिपक्क मन मस्तिक पर जन्मती है। 2013 में इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की मौजूदगी और उनकी लगातार बढ़ती तादात को लेकर सी बी आई ने एक गम्भीर और चिन्ता जनक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि इंटरनेट पर तेजी से बढ़ती अश्लील सामग्रियों की वजह से युवा पीढ़ी अपने नैतिक मूल्यों को भूलती जा रही है। जिसकी वजह से देश में यौन शोषण की घटनाएं बढ रही है। किशोरों के अलावा छोटे बच्चों तक इन अश्लील साम्रगियों की पहुँच ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है।

बन्दीगृह में महिला कैदियों को जेल के अफसरों द्वारा देह व्यापार के लिए कई सालों मजबूर किया जाता रहा। हजेगोविना और रवाण्डा में स्त्रियों के यौन शोषण की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई जहाँ पर केवल अन्तवामी ही नही बल्कि सुरक्षा सैनिक भी बाल योन शोषण करते रहे।

प्रश्न उठता है कि विश्व के हर देश में महिला बलात् कार क्यों होते रहे है ? बाल वेश्यावृत्ति के प्रति आकर्षण का क्या कारण हो सकता है। सभी महिलाओं के योनांग समान होने पर भी पुरूष वर्ग एक पत्नी व्रत

त्याग, अपराध प्रवृत्ति की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है?

विश्व में वेश्यावृत्ति को वैधता देने वाले राष्ट्रो की संख्या 176 है।

कनाडा– 19वीं शताब्दी से ही यहाँ वेश्यावृत्ति को मान्यता प्राप्त है।

ग्रीक– देह व्यापार सम्बन्धित कड़े कानून बने हुए है। पंजीकृत वेश्याओं का सप्ताह में 2 बार चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है।

थाईलैण्ड– देह व्यापार को कानूनी मान्यता प्राप्त है। 1996 से बाल वेश्यावृत्ति गैर कानूनी घोषित है।

आस्ट्रेलिया– वर्ष 2000 से वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित समस्याऐं बढ़ने के कारण वेश्यावृत्ति पूर्व प्रचलित कानून रद्द कर दिया गया है।

जर्मनी– अलग–अलग शहरों में अलग–अलग कानून वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित है। यहाँ लगभग 2.50 लाख वेश्याएँ है जिनमें पंजीकृत 50 हजार ही है। इनका नियमित चिकित्सकीय परीक्षण होता है। वर्ष 2005 में 1 लाख 20 हजार पंजीकृत वेश्या रही है।

स्वीडन– 1995 से वेश्यावृति को गैर कानूनी घोषित कर दिया है जबकि पूर्व में प्रचलित थी।

बिट्रेन– गैर कानूनी तब तक नहीं जब तक देह व्यापार सार्वजनिक स्थान की बजाय निजी तौर पर किया जा रहा हो।

विश्व में फ्राँस, हॉलैंण्ड, इस्त्राइल, स्विटजरलैण्ड समेत अनेक देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनन मान्यता प्राप्त है।

वेश्या का स्वरूप नारी जीवन की बहुत बड़ी विडम्बना हैं, उसका अभिशाप है, उसकी दर्दनाक स्थिति है। वेश्या स्वरूप की प्राप्ति नारी की अधोगति है। इसमें स्थित नारी को प्रेम मिल सकता हैं, वैभव मिल सकता है। उस पर अनेकों जाने न्यौछावर होने के लिए तैयार हो सकती है किन्तु घर, परिवार और सम्मान नहीं मिलता है, जो एक स्त्री के लिए अनिवार्यता है। जीवन में बहुत बड़ी मजबूरी ही उसे इस मार्ग पर लाती है। वेश्या की स्थिति बलि के बकरे जैसी है, पुरूष उसके साथ व्यभिचार करता है और उसे बहिष्कृत कर देता है। वेश्या छिपकर काम करें या पुलिस की देखरेख में, उसे हमेशा अछूत की तरह ही देखा जाता है। इस स्थिति में नारी कभी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह सकती। किन्तु कुछ नारियाँ अपने कामोवेग के समक्ष विवश होकर भी यौन उच्छखलता की और अग्रसर होती है। यहाँ प्रश्न उठता है, वैश्या वृत्ति के लिए कौन से कारणों को हम उत्तरदायी मान सकते हैः– दुःखी–पारिवारिक वैवाहिक जीवन, असंतुष्ट पति या सुसराल द्वारा अत्याचार, खानदानी पेशा, अवैध सम्बन्ध की लत, यौन–रिश्ता, प्रतिशोध और आराम–दायक जीवन के लिए पैसा कमाने का लालच प्रमुख है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई भी बालिग लड़की अपनी इच्छा से अपने घर में पैसा या किसी अन्य वस्तु के बदले अगर यौन व्यापार करती है तो यह कानून की दृष्टि से अपराध नहीं है। अपराध है, एक से अधिक लड़कियों द्वारा देह व्यापार चलाना, सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन करना, ग्राहक को बहला–फुसलाना, दूसरे की वेश्यावृत्ति पर गुजारा करना।

बाल वेश्यावृत्ति क्या है– इसके अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु की महिला को लिया जा सकती है जिन्हे लड़की या बाला कहा जाता है अर्थात् अवयस्क महिलाएं जिनके कोमल अंग योनी से छेड़छाड़, सम्भोग क्रिया पैसे के बदले में करने वाला व्यवसाय बाल वेश्यावृत्ति है।

इस आयु से कम आयु की लड़की का विवाह हिन्दू विधि, विशेष विवाह विधि एवं भारतीय विवाह विच्छेद

अधिनियम में भी वर्णित है। इतना ही नहीं यह दण्डनीय अपराध है। यदि किसी बाला का विवाह हो भी जाये तो वह विवाह विधि में शून्य माना जाता है।

दूसरी और भारत में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्त्री तथा लड़की के लिए 21 वर्ष आयु को व्यवस्कता माना गया है। अर्थात् यहां पर 21 वर्ष से कम आयु की लड़की बाला होगी। उससे उपर्युक्त कृत्य कराना, इस हेतु खरीदना, बाल वेश्यावृत्ति के अन्तर्गत माना जायेगा।

बाल वेश्यावृति के कारण– बाल वैश्यावृत्ति के पीछे छिपे कारणों को खोजने पर हम पाते है कि छोटी आयु में माँ–बाप की मृत्यु, निर्धनता, सौतेले माँ–बाप का व्यवहार, उपेक्षा, अशिक्षा, लेकिन इसके अलावा अर्निहित कारणों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मीडिया इन्टरनेट का बढ़ता जाल, लापता बच्चें अर्थात धरों से उठाकर ले जाई गई बच्चियाँ आदि। भारत देश के आजकल सालाना तकरीबन एक लाख बच्चे गायब होते है, जबकि पाँच–छः वर्ष पूर्व के सालों में से 44 से 55 हजार बच्चे सालाना गायब होते थे। यह हालात की भयानकता का संकेत है। संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2011 से जून, 2014 तक 3.27 लाख बच्चे गायब हुए । इनमें से 45 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों का का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। इन 3.27 लाख गायब बच्चों में 1,81,011 लड़कियाँ है। इसमें देश के चार राज्य शीर्ष पर है, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली और आन्ध्रप्रदेश, इन राज्यों से सर्वाधिक बच्चे गायब हुए है। विडम्बना यह है कि ये बच्चे कहाँ चले जाते है या पृथ्वी निगल जाती है। इनका पता अब तक नहीं चला। जाहिर है ये बच्चे अपराधी गिरोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं जहाँ यातना, यंत्रणा, शोषण, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न उनकी नियति बन जाती है अनेक वेश्यालयों के कोटो की शोभा बढाते है । "सिओनर द बुक, द सैकिण्ड सैक्स" पुस्तक में लिखा है कि बीते सालों में 12 से 16 वर्ष उम्र की लापता लड़कियों की तादाद ज्यादा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बाल वेश्यावृत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी है।

वर्ष 2006 में कॉमन वेल्थ यूथ प्रोग्राम ने 14 से 16 वर्ष आयु के 1000 ये अधिक किशोर–किशोरियों का जनमत सर्वेक्षण करवाया था। इसमें 38 प्रतिशत लड़के 27 प्रतिशत लड़कियों का कहना था कि वे सेक्स का प्रयोग कर चुके है। इनसे जब सेक्स की जानकारी पर प्रश्न पुछे गए जैसे जानकारी कहां से मिली, प्रश्न किया गया तो उनका कहना था इस हेतु उन्हें घर बैठे टी.वी. इन्टरनेट, सारी जानकारी प्रदान कर देता है। मीडिया–संस्कृति में बड़े होता युवा वर्ग यह नहीं समझ पाता कि 18 वर्ष से पूर्व योन क्रिया करना गलत चीज है और इसके माध्यम से कोई इनका शोषण कर रहा है। मीडिया, इन्टरनेट ने बाल यौन शोषण की घटनाएं बढ़ाने में प्रेरणा का काम किया है मैसुर की एक संस्था ने गोवा के 10 कॉलेजों के 200 छात्रों के बीच सर्वे जो किया उसके तथ्य बडे ही अहम थे। पोर्न देखने वाले 76 प्रतिशत युवा रेप करना चाहते है। कम से कम 40प्रतिशत युवा नियमित तौर पर पोर्न सामग्री देखते हैं। बाल यौन शोषण की घटनाऐं लड़कियाँ ही नहीं लड़को के साथ भी घटित होती रही है। 4 में से 2 लड़कियां 6 में से 1 लड़का यौन हिंसा के शिकार होते है । यह बाल वैश्यावृत्ति न होते हुए भी बाल वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने, उनके चंगुल में फंसने के लिए उत्तरदायी कारण अवश्य है।

पर्यटन उद्योग ने इसमें प्रमुख भूमिका निबाही है, जिसके चलते इस बाजार में आज कम उम्र यानी 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की मांग सबसे ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण बाल वेश्यावृति में बेतहाशा बढोतरी हुई है जिसे रोक पाने में सरकारे नाकाम रही है। यह बाल यौन शोषण, ही है वेश्यालयो में मौलिक अधिकारों की बात कहाँ अहमियत रखती है? कानूनी संरक्षण की बात तो बेमानी ही है? देश में बाल वेश्यावृति का ग्राफ लगातार बढता ही जा रहा है, और वह नित नये आयामों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। कमसिन व कम उम्र की लड़कियों की बढती हुई मांग इस बात का प्रमाण है कि आज के युग में महिलाओं की तुलना में कम उम्र की लड़कीयों की मांग बढ़ी है इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1990 के जलगाँव महाराष्ट्र मे देखने को मिला जब 16 वर्ष से कम उम्र की

500 लड़कीयों से जबरन वेश्यावृति का धन्धा कराया जा रहा था इतना ही नही लड़कीयों के फोटो ग्राफ लेकर उन्हे ब्लेक मेल किया जा रहा था। समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अध्ययन के दौरान यह तथ्य सामने आये कि इनमें से 70 हजार 18 वर्ष से कम उम्र की थी।

जैसे–जैसे पर्यटन उद्योग फैलता जा रहा है बाल वेश्यावृति का व्यवसाय भी फल–फूल रहा है देह व्यापार पर्यटन उद्योग का अंग बन गया है। यहाँ छुपे तौर पर वेश्यावृति की जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1992 से 1994 के बीच अनेक विदेशी पर्यटकों को बाल यौन शोषण के विरोध में गिरफ्तार किया गया था। जिसमें 25 प्रतिशत अमेरिकी 18 प्रतिशत जर्मन 14 प्रतिशत आस्ट्रेलियन तथा 12 प्रतिशत फ्रेंच थे। बाल वेश्यावृति भारत की ही नही विश्व समस्या बन गई है– यूनिसेफ से प्रकाशित रिर्पोट के अनुसार वेश्यावृति व्यापार का मुख्य केन्द्र एशिया है। इस व्यवसाय में 10 लाख बच्चियाँ संलिप्त है। सब कुछ पुलिस और सत्ता में उँची पहुँच वाले दलालों की छत्रछाया में बड़े ही सुनियोजिन तरीके से चल रहा है। थाइलेण्ड में 6 लाख वेश्याये है। जिसमे न केवल बालिकाएं बल्कि बालक भी बाल वेश्यावृति के शिकार होते रहे है। श्रीलंका में लगभग 60 हजार बाल–वेश्याएँ है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के कई देशो में बालवेश्यावृति का भीषण प्रकोप फैला हुआ है जिसमें इक्वाडोर व वेनेजुएला सबसे आगे है। जबकि अमेरिका, जापान, भारत देश में देह व्यापार गैर कानूनी घोषित है। यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल रिपोट ऑन क्राइम एण्ड जस्टिस के अनुसार जापान में 40 से 50 हजार बाल वेश्याएँ कार्ररत् है। यूरोपीयन यूनियन के देशो में शरीर का धन्धा करने वाली महिला ओं की संख्या 2 से 5 लाख के बीच है। जिनमें आधी से अधिक 16 वर्ष से कम उम्र की है । आई.ओ.एम. के अनुसार 1996 में में ही इस जधन्य अपराध में करीबन 80 लाख महिला व बच्चे देह व्यापार में लिप्त रहे है। ऐन्टी सलेबरी इन्टरनेशनल के अनुसार 8 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाऐ बेनिन व टॉगो अफ्रीका के दरिद्रतम देशों के गाँवो से अपहत, नाइजेरिया तथा गेबोन सहित पड़ोसी देशो के घरों व चकला घरों में बेच दिए जाते है अमेरिका में, इस धन्धो में कम से कम अवैध रूप से 1.50 से 2 लाख बाल वेश्याएँ लिप्त है। लेखक पीनो आर्चोलोची ने अपनी पुस्तक यूनाइटेड नेशन्स आफिस फॉरड्रग्स कंट्रोल एण्ड क्राइम प्रिवेनशन में यह बनाया है।

अपनी अनेक मजबूरीयों में पड़ी लड़की भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, पारिवारिक प्रथा के कारण जिस्म–फरोशी का धन्धा करती है। पुरूषों की सैक्स की भूख को मिटानी है। फिर भी समाज इन्हे स्वीकार नही करता, इनसे सम्बन्ध समाज के सबल, सम्पन्न लोग अपना शौक पूरा करने के लिए बनाते है। इस पेशे से होने वाली आय में दलालो, पुलिस वालो का हिस्सा रिश्वत केरूप में सम्मलित होता है।

इन बाल वेश्या ओं में सबसे अधिक संख्या उन बच्चों की है जो घर से भाग कर आते है। ये बच्चे शहर आने पर वेश्यावृति के धन्धे में संलग्न दलालों के हाथ लग जाते है। घर से इनके भागने की वजह परिवार वालों का हत्याचार और परिवार में उनके साथ किया जाने वाला बलात्कार या यौन शोषण होता है। बाल सुधार ग्रह और बाल कल्याण संस्थाओं के अत्याचारों से तंग आकर भागे हुए बच्चे भी दलालों के हाथ लग जाते है। इन बच्चो की एक उत्पाद की तरह खरीद–फरोख्त होती है, यही नही उत्पाद की तरह इनका आयात निर्यात भी किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के वेश्यालयो में 16 वर्ष से कम उम्र की तकरीबन डेढ से दो लाख नेपाली लड़कियाँ है। इसी तरह पाकिस्तान में 50–60 हजार बंगाली लड़कियाँ वेश्यावृति में संलग्न है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिर्पोट यह तथ्य उजागर करती है कि दिल्ली में जी.बी. रोड़ के अलावा स्लम बस्तीयाँ, यमुनापुश्ता, न्यू सीमापुरी, निजामुद्दीन बस्ती, सेवा नगर, रोडिणी, जहांगीर पुरी दक्षिण दिल्ली के तमाम गेस्ट हाऊस और होटलों में नाबालिगों से धडल्ले से वेश्यावृति कराई जा रही है। जिसका औसत 60 प्रतिशत तक है। जिसमें 60 प्रतिशत बंगला देश, नेपाल से आई नाबालिक लड़कियाँ है। यही नही, वेश्यावृति के संचालक बड़ी

चालाकी से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की मदद से इन नाबालिक बच्चों के धन्धे में प्रवेश के समय ही "व्यस्क" होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लेते है। भ्रष्टाचार, रसूकदार पैरोकारो की लम्बी फेरिस्त इसमें सहयोग करती है। दिल्ली में बाकायदा 10 नाबालिकों का कोठा चलाने के लिए पुलिस 50 हजार रूपये वसूलती है। 20 नाबालिकों पर 1 लाख, 50 पर 3 लाख रूपये का रेट 2005 में थी। ओहदे के मुताबित पुलिस रोजाना हर ग्राहक के हिसाब से पैसा वसूलती है। हर दस नाबालिको पर 300 रूपये प्रति कोठा वसूला जाता है। इस धन्धे में नेता भी शामिल बताए जाते है। यहॉ तक कि लड़कियों के मॉ–बाप शादी के नाम पर इन्हे बेच देते है। वेश्यावृति का कारण केवल गरीबी, अशिक्षा ही नही है, बल्कि माफिया व तमाम अन्य कारण भी है।

बच्चों को इस धन्धे में लगाने के लिए लोग कानून का सहारा लेने लगे है इसके तहत अभिभावकों की सहमति से कानूनन बच्चे गोद लिये जाते है फिर उनसे वेश्यावृति कराई जाती है।

भारत देश में 1200 से अधिक रेड लाइट एरिया, 3 लाख कोठे, 25 लाख 80 हजार से अधिक वेश्याएँ और 58 लाख से अधिक इनके बच्चे है। इसमें कालगर्ल की संख्या सम्मलित नही है।

देश के विविध राज्यों विशेषतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चितम बंगाल, असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा तमिलनाडु में वेश्याओं की संख्या 1388300 है, इसमें देवदासी सम्मलित है तथा उनके 5149500 बच्चे है।

इनकी खरीद–बिक्री के लिए कई मण्डियॉ है। धौलपुर (राज.) बसई (उत्तर प्रदेश) जलपीगू और हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) पूर्णे (महाराष्ट्र) भुवनेश्वर (उड़ीसा) मुजफ्फरपुर (बिहार) मंडी (हिमाचल प्रदेश) प्रमुख है। बम्बई के वेश्यालयों में 35 प्रतिशत नाबालिक है। इनमें से 15 प्रतिशत वेश्याओं को देवदासी बनाने के बाद वेश्यावृति में लाया गया है। वास्तव में इस धन्धे में लगे 70 प्रतिशत बच्चों से जबरदस्ती यह धन्धा कराया जाता है। प्रायः लोग आजकल एड्स से बचने के लिए बाल–वेश्यावृति का सहारा लेते है। एक गलत फहमी यह भी है कि कम उम्र की लड़कीयों के साथ यौनाचार करने से यौन शक्ति का विकास होता है विशेषकर यदि कन्या कुवारी हो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नही है यह मिथ्या धारणा है इसमें कोई सत्यता नही है।

जिनकी अभी खेलने की पढने की उम्र है उनके बचपन को रोज, दिन–रात देश के वेश्यालयों, गेस्ट हाऊसों, क्लबों और पाँच सितारा होटलों में क्रूरतम रूप से रौदा जा रहा है जो भी तमाम कानूनों और मानवता को ताक में रख कर इस घृणित धन्धे में प्रविष्ठ बालपन से ताउम्र उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद नही है। बाल मानवाधिकार के पेरोकार लोग व राष्ट्र कुम्भकरणी चीर निन्द्रा में लीन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं के अधिकारों के विषय में संविधान में अनेक विचार, अधिनियमों के रूप में सामने आये। अनेक अधिनियम, उभयात्मक विकासात्मक, सुरक्षात्मक एवं निषेधात्मक भाव से पारित किए गये। अव्यस्क बालाओं के प्रति अपराध जो होते है उनमें मुख्यता बाल विवाह, वेश्यावृति, बलात्कार है। ऐसे अपराध माता–पिता के द्वारा या उनकी सहमति से भी वर्जित है। यह एक कानूनन अपराध है।

विधिक प्रावधान–1942 में देह व्यापार का अपराधीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमे औरतों और बच्चों के शोषण के विरूद्ध कानून लागू करने की बात कही गयी थी। 02 दिसम्बर 1949 देह व्यापार के दमन एवं दूसरों की वेश्यावृति के दौहन से सम्बन्धित अभिसमय है।

बाल वेश्यावृति संदर्भ भारतीय दण्ड प्रणाली (अनेतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956) के प्रावधान

धारा–3

वेश्यागृह चलाने या परिसरो को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दण्डः– न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष कठोर कारावास सजा का प्रावधान है।

धारा–4

(1) वेश्यावृति के उपार्जनो पर जीवन निर्वाह के लिए दण्डः– 2 वर्ष से 10 वर्ष की सजा 1 हजार रूपये जुर्माने की व्यवस्था है। 18 वर्ष आयु से अधिक के व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किये जाने पर।

धारा–5

व्यक्ति को वेश्यावृति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाना, दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से 70 वर्ष अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तथा 2 हजार तक जुर्माना हो सकेगा।

धारा–7

सार्वजनिक स्थान में या उनके समीप वेश्यावृति : वेश्यावृति करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किन्ही परिसरो में (या) सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्याग्रह या किसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अन्दर हो, जिसे मजिस्ट्रेट विहित रीति से अधिसूचित करे। कारावास अवधि 3 मास तक की होगी।

जहॉ उपधारा के अधिक किया गया कोई अपराध किसी बालक या अव्यस्क की बाबत् है तो सजा की अवधि 7 वर्ष से अन्यून की होगी जो आजीवन के लिए या ऐसी अवधि के लिए 100 वर्ष तक हो सकेगी। दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 366 (क)–

अप्राप्तवय लड़की का उदापन, 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लडकी को अन्य व्यक्ति अयुक्त संभोग करने हेतु विवश, विलुब्ध करने पर किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

धारा 366 (ख)–

विदेश से लड़की का आयात करना– 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू–कश्मीर राज्य से आयात, अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाने पर कारावास अवधि 10 वर्ष की होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 368–

व्यपहत या अपहत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना– कोई भी ऐसे व्यक्ति को छिपायेगा उसे उसी प्रकार दण्डित किया जावेगा मानों उसने व्यापहरण किया हो।

धारा 372–

वेश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवया को बेचना– जो कोई 18 वर्ष आयु से कम के किसी व्यक्ति

को उक्त कार्य के लिए बेचेगा, भाडे पर देगा, व्ययनीत करेगा या कारावास की अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से भी दण्डित होगा। जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि 18 वर्ष आयु से कम की नारी वेश्यावृति के उपयोग में लाई जाएगी।

धारा 373–

वेश्यावृति, आदि प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति में वेश्यावृतियाँ आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिक विरूद्ध दुराचरित्र प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए। खरीद, भाडेदर लेना, कब्जा करेगा कारावास अवधिक 10 वर्ष तक होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । जब तक की यह तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए कि वेश्यावृति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जायेगी।

धारा 375–

बलात्संगः– पुरूप किसी स्त्री के साथ निम्नांकित 5 परिस्थितियों में मैथुन करता है। वह पुरूप श्बलात्संगश् कर्ता कहा जाएगा।

1. उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना।
3. उस स्त्री की सम्मति उसे मृत्यु, उपहत भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरूष उस स्त्री का पति नही है फिर भी उस स्त्री ने सम्मति विवाहित उसकी होने के विश्वास से दी है।
5. उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से जब की वह (16) वर्ष से कम आयु की है। अगर पत्नी भी 15 वर्ष से कम आयु की है तो बलात्संग अपराध से दण्डित किया जावेगा। बलात्संग अपराध के लिए आवश्यक मैथून गठित करने के लिए प्रवेशिन प्रर्याप्त है। बलात्संग अपराध का दण्ड (आजीवन कारावास) या 10 वर्ष कारावास तक की सजा हो सकेगी तथा दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

महिलाओं के शील का प्रश्न एक प्रमुख प्रश्न है। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता में 354, 366, 366 (क). (ख) 376 एवं 509 धारायें है। जिनमें महिलाओं के शील सम्बन्धी अपराधों का वर्णन और उनके दण्ड प्रावधान उल्लेखित है।

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम 1978

यह अधिनियम वेश्यावृत्ति का व्यापार करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित परिभाषिक शब्द है–

(क) वेश्यागृह– वह मकान, कमरा, अन्य स्थान जहां पर वेश्यावृति की जाती है।

(ब) सुधार संस्था– जहा वेथ्या ग्रहो से लाई गई महिलाएं रखी जाती है।

(ग) बाला– 21वर्ष से कम आयु वाला

(घ) वेश्यावृत्ति– धन के बदले में पुरुष को शरीर सौंपना इस अधिनियम के अन्तर्गत है।

धारा–3 : वेश्यावृति हेतु स्थान उपलब्ध कराने पर 2 वर्ष तक कारावास एवं 2000/– रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

धारा–4 : यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से वेश्यावृति करवाता है उससे अपना जीवन यापन करता है तो वर्षका कारावास एवं 1000 के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा–9 : कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रहने वाली वाला अथवा महिला को वेश्यावृति हेतु उपलब्ध करवाता है तो 1 वर्ष कारावास 1000/– जुर्माने का प्रावधान।

धारा–14 : सह संज्ञेय अपराध है पुलिस बिना वारंट भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है **धारा–19 :** जो महिला या बाला वेश्यागृह से निकाली जाती है उन्हें सुधार गृहों में रखा जाता है।

धारा–22 : ऐसे प्रकरणों का विचारण महानगरीय अथवा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करेगें।

उपसंहार

महिलाओं के प्रति अपराध के विषय में लिखते समय मुझे मेरी अतीत्मा ने इस बात के लिए प्रेरित किया स्वतंत्रता के 79 वर्ष के बाद भी स्वतंत्र भारत में, महिला संविधान की छत्रछाया में अपने को असुरक्षित समझ रही है। अधिकांश महिलाऐ शिक्षा के अभाव में यह समझ ही नही पाती कि उनके प्रति अपराध हो रहा है। माता–पिता भाई या पति ही महिला को उपभोग के लिए बेच देते है। न तो उसके पास अपनी स्वयं की आवाज है न उसका साथ देने वाला ही कोई है। उसके रक्षक ही उसके भक्षक है। यदि कभी वह थाने में अपराध की सूचना देने जाति है तो वहाँ भी उसे कुत्सित दृष्टि से ही देखा जाता है यहाँ तक की थाने में बलात्कार हुए है। मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है उड़ाने वाले सफेद पोश, पैसे वाले रसूकदार होते है। तभी पंच सितारा होटलों में बालवेश्यावृति फल फूल रही है। कोठो पर हुए अनुसंधान बताते है कि यहाँ पर 9 से 16 वर्ष की आयु की सर्वाधिक 70 प्रतिशत बार बालाऐं है जो लोगों की काम तृप्ति का कार्य अन्य कार्यो की आड़ में करती है। देश में बच्चों का छोटी उम्र में तरह–तरह का शोषण किया जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण की स्थितियाँ भी शर्मनाक है। बच्चों के जीवन सम्बन्धी महिलाओं का कितनी क्रूरता से हनन किया गया। सुरक्षा के अधिकार से घर से लापता उठाये गए बच्चे वंचित स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण अधिकार बाल वेश्यावृति से तरोहित हो रहे, है ये दिव्या स्वप्न बनकर रह गए है। घरेलू कामकार बच्चे के लिए मजदूरी सुनिश्चित नही है, घरों में झाड़ू पोचा लगाने वाली लड़कियों के साथ आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक शोषण के साथ प्रायः यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। नौकरी जाने के भय से अथवा अन्याय सहने की मानसिकता बन जाने अथवा लाज शर्म के मारे वे प्रतिकार नही कर पाती है । अनेक लड़किया अपने मालिक की हवस का शिकार होती रही है। यदा–कदा अखबारों में ऐसी न्युज देखी जाती है। जो काम गारो को घर में रहने की सुविधा देते है वहाँ वे शोषण और दुर्व्यवहार के बावजूद पड़े रहते है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 75 प्रतिशत कामगार घरेलू बालिकाऐं ही होती है जिनमे 15 प्रतिशत 13 वर्ष की आयु से कम की होती है। ऐसे कृत्य को समाज तक लाना बड़ा कठिन कार्य है। यह समस्या उसके भविष्य से जुड़ी होती है। कानून व्यवस्था के रखवाले जब तक भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर बेहती गंगा में हाथ धोने से अपने को पृथक रखने की नियत से कानूनी प्रावधानों को सही तरीके से क्रियान्वित नही करेंगें तब इस समस्या के समाधान के कोई आसार दिखाई नही देते है। देह का प्रयोग यौन क्रिया विषय के लिए करने की स्वतंत्रता है तो

फीर अंग विक्रम अवैध क्यू? हमारी देह हमारा अंग है इसका हम चाहे जो करेने की स्वतंत्रता है तो फीर आत्महत्या अपराध क्यू है? हमारी देह को हम कॉटे, मारे, जलाए ऐसा कानूनन् नहीं कर सकते तो फीर यौन व्यापार करने की स्वीकृति का लाइसेंस कैसे उचित न्याय पूर्ण हो सकता है। अनैतिक व्यापार को नैतिक बना दिया जाना अमानवीय, घिनोना विचार है। क्या ऐसा कानून बना दिये जाने से प्रताड़ित, शोषित मासूम जिंदगीयों को राहत सामाजिक समानता के स्तर पर स्वीकृति समानता का दर्जा मिला जावेगा, पुलिस यातनाऐं समाप्त हो जाऐगी, ये सम्मान से जिन्दगी बसर कर पायेगी। लाइसेंस की प्राप्ति के लिए शारीरिक शोषण, यातना नही सहनी पड़ेगी? देह व्यापार में जाने अंजाने प्रविष्ठ बालाओं को राहत मिल सकेगी? उनसे कराये जाने वाला कूकृत्ये सद् कार्य माल लिया जावेगा। क्या उन्हे समाज सेविका, मानवाधिकार के पेरूकार का दर्जा हासील हो सकेगा। लाइसेंस प्राप्त देह व्यापार कर्मी को अछूत नही माना जाऐगा। क्या अब से सभ्य समाज में लोटने विवाह करने की हिम्मत जुटा कर सभ्रांत परिवार की बहू बन पायेगी? देह व्यापार को भारत का समाज असामाजिक, तिरस्कृत दृष्टि से देखता है। गरीब, नाबालिक, बेसहारा, असहाय, मजबूर बालिकाऐ इस स्थिति से मुक्त हो पायेगी। अनेक प्रश्न मानव मनीषा को मथ रहे उत्तर के आकांक्षी है।

सुझाव

1. युवाओं में नैतिक शिक्षा से भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा दिया जावें।
2. बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जावें।
3. कुकृत्य का दोष (सिद्ध होने पर अपराधी को कठोरतम् सजा दी जावें।
4. समस्या के संदर्भ में सार्वजनिक अनेक टोल फ्री नम्बर, उपलब्ध हो।
5. देश में 10 से 12 कक्षा तक के छात्रों को इन अपराधों से सम्बन्धित कानूनी एवम् दण्डात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावें।
6. पुलिस प्रशासन के पास ऐसे उपकरण, व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे जिससे खोए हुए बालकों की तुरन्त खोज की जा सके।
7. देश में स्थापित अनाथालय, नारी निकेतन केन्द्रों की गोपनीय जॉच प्रति वर्ष की जावे।
8. समाज में यौन उत्तेजक चल चित्र, विज्ञापन ईत्यादि पर पूर्णतः रोक लगाई जावें।
9. अनैतिकता की चकाचौंध, विज्ञापनों की भ्रामकता, महिला द्वारा अर्द्धनग्न तस्वीरें छपवाने में शर्मिन्दगी नहीं होना अर्थात् महिला का उपभोग्य और उपभोक्ता का स्वरूप, एक ब्राण्ड बनने से स्वयं को रोकना होगा।
10. महिला संगठन, मानवाधिकार वादी कार्यकर्ताओं के वेश्या उन्मूलन हेतु इन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्ति में सहयोग करना होगा नाकि वेश्यावृत्ति को व्यवसाय बनाने में मदद।
11. जो समाज में स्थापित वेश्याऐं हैं उन्हें निःशुल्क चिकित्सकीय सेवाए प्राप्त हो, कोई भी स्त्री जाति की एक भी बालिका वेश्यावृत्ति के मकड़जाल में न फसे, ऐसी उचित व्यवस्था सरकारी और सामाजिक स्तर पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
12. बालकों में ऐसे संस्कार उत्पन्न किए जाए ताकि वे अपने विरूद्ध होने वाले अपराध को पहचान सके और उसके खिलाफ आवाज उठा सके, बगावत कर सके।

13. स्वयं स्त्री एवं समाज उसे उपभोक्ता वस्तु रूप में देखना, मानना बंद कर दे। उसकी अस्मिता एवं अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बराबर का नागरिक माने।
14. समाज में विकृत मानसिकता उत्पन्न न हो ऐसे कार्य विचार हेतु मनोवैज्ञानिक शिक्षा एवम् चिकित्सा को बढ़ावा दिया जावें।
15. गरीबी, मजबूरी, धोखा, जैसी जंजीरों को तोड़ने के विषय में व्यावहारिक चिन्तन और उपाय खोजे व क्रियान्वित किये जावे।
16. जब तक समाज में जागृति नही आयेगी, समाज हर बच्ची को अपनी बेटी मानकर नहीं चलेगा यह बीमारी रूकने के स्थान पर बढ़ती जाएगी।

लैंगिक समानता की लड़ाई के इस युग में स्त्रियों को पुरूष रूप में परिवर्तित करने के अहम् भाव के स्थान पर स्त्री व पुरूष के बीच अधिकतम समानता पर टिके ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहाँ स्त्री–पुरूष से एक दर्जा नीचे रहने के दर्द से स्थाई रूप से मुक्त हो सके, स्त्री–पुरूष में विश्वासघात के विचार तक उत्पन्न न हो, सदैव सम्मान, सहयोग समाज के बालकों में निर्मित हो।

बहन की दृष्टि विकसित हो। सम्पन्न वर्ग में आज आत्म नियंत्रण और अनुशासन खत्म होता जा रहा है। विकृत संस्कृति के प्रवाह को रोकना होगा। महिला के आर्थिक सबलीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बाल–वेश्यावृत्ति, लैंगिक अन्याय है। इस पर गहरा मंथन होना चाहिए। स्वयं की पुत्री के साथ अपराध न घटे व वेश्या न बने परन्तु हम वेश्यालय जावे। कैसी विकृत मानसिकता, सामाजिक विडम्बना है। इस पर गहरे अन्तर्रात्मा से विचार करना होगा, दोहरी मानसिकता चरित्र को त्यागने में समस्याओं के समाधान निहित है।

***राजनीति विज्ञान विभाग**
राजकीय महाविद्यालय
झालावाड़ (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दैनिक नवज्योति, न्यूजपेपर दैनिक 8 नवम्बर शनिवार 2014, पृ. 3
2. खेतड़ी रियासत की गणिकाऐं डॉ. रमेशचन्द शर्मा, सम्प्रति द्वारा प्रस्तुत आलेख, विवेकानन्दन दर्शन विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार 2001, विनोदिनी पी. जी. महा. खेतड़ी।
3. सुद्रिया, विश्व समस्याः बाल वेश्यावृति, आलेख, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, नवम्बर 2005, पृ. 12.
4. वेश्यावृति के कानूनी मान्यता का सवाल, आलेख, दैनिक नवज्योति पृ. 48 नवम्बर 1914
5. ज्ञानेन्द्र रावत, आरिवर कहाँ चले जाते है लापता बच्चे ? दैनिक नवज्योति, कोटा दिनांक 14 जून 2015, पृ. 6
6. बाल वेश्यावृति एक समस्या, आलेख, 2008 सेमीनार महिला सशक्तिकरण, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर, पृ. 2

7. महिलाओं के प्रति अपराध, श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव, प्रकाशक कोमनवेल्थ पब्लिशर्स, दरियागंज नई दिल्ली–2 1999, पृ. 8 से 11
8. आधुनिक भारत में बाल श्रमिकों की समस्या पृ. 169 डा. विरेन्द्र बहादूर सिंह 2006, विवेक प्रकाशन दिल्ली, द्वितीय आलेख – 'सैक्स बाजार'
9. सरिता नवम्बर द्वितीय सम्पादक परेशनाथ एवं विश्वनाथ संस्थापक अंक 1430 पृ.147
10. प्रज्ञा शर्मा, महिलाओं के प्रति अपराध, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर राज. 2006 पृ. 189–195
11. डॉ. दीपा जैन, महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 2007 पृ. 80 से 85
12. डॉ. एस. के कपूर, मानवधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, नई दिल्ली, 2011
13. डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारत का संविधान एवं मानाधिकार/सागर 2009, पृ. 922, वेश्यावृति नारी की अधोगति है संस्कार ही विचलित मन व तन को रोकता है।
14. कुरूक्षेत्र, वर्ष 52 अंक 1 नवम्बर 5 प्रकाशक, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 12
15. अरविन्द जैन, महिला और कानून, विकास पब्लिशिंग हाउस पेपर बॉक्स, दिल्ली, पृ. 691
16. अरविन्द मेहला, अप्राकृतिक यौन, औरत होने की सजा, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृ. 701
17. IPC धारा 367
18. संजय सिंह बघेल, बाल यौन शोषण व समाज, समाज कल्याण विभाग, वर्ष 46, अंक 7
19. शिवामी, पीनो अरलोची, यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल रिर्पोट ऑनक्राइम एण्ड जस्टिस 1999, पृ. 5,
20. इन्टर नेशनल आर्गनाइजेसन फार माइग्रेशन, IOM, 1999 रिर्पोट
21. टैफिकिंग कन्वेशन यूनाइटेड नेशन्कन्वेशन ऑनदि एलिमिनेशन ऑफ आल फार्म आफ डिस्त्रिमीनेशन रिर्पोट–1998,
22. बसन्ती समन, अपराध अत्याचार, स्त्री के विरूद्ध, राष्ट्रीय सहारा, शनिवार 24 जून 2001 सेन्टर फॉर बीमेन्स डेवलमेन्ट स्टडीज, नई दिल्ली 2004
23. 'गरीबी के नाम पर लूट की छूट' संयुक्त राष्ट्र संघ की रिर्पोट 2001, राष्ट्रीय सहारा, 28 जुलाई, 2004
24. श्याम यादव, इंटरनेट, अश्लील साम्रगियां और युवा अपराध, दैनिक नवज्योति फोटोज 15 अक्टूबर 2015 216
25. श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव, महिलाओं के प्रति अपराध, पृ. 88, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1999.